

एफ.नं. एस-11012/01/2015-बीएल

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली,
दिनांक : 17.01.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना 2016 – तात्कालिक वित्तीय सहायता में वृद्धिसे संबंधित।

कृपया इस मंत्रालय द्वारा सम-संख्यक कार्यालय ज्ञाप. दिनांक 18 मई , 2016 के माध्यम से अग्रसारित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना में संशोधन , 2016 के पैरा 5 (xiv) का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया है कि मुक्त कराये गए बंधुआ श्रमिक को रुपये 5 ,000/- की तात्कालिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी के अधीन जिला बंधुआ श्रमिक पुनर्वास कोश से उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार ने तात्कालिक वित्तीय सहायता की राशि रु. 5,000/- से बढ़ाकर रु. 20,000/- करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया है।

ह/-

(ए.के. सिंह)

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

- (i) मुख्य सचिव (समस्त राज्य सरकार)
- (ii) प्रशासक (समस्त केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन)
- (iii) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर (समस्त)

प्रतिलिपि सूचनार्थ

- (i) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
- (ii) गृह, विधि एवं न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, वित्त, विदेश मंत्रालय
- (iii) भारत के निरीक्षक एवं महालेखाकार
- (iv) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग